(117)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक :- प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 05.06.2011

परिपत्र

**विषय :-- राज्य के नगरीय क्षेत्रों में भू-उपयोग परिवर्तन बाबत्।**

नगरीय क्षेत्रों में भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 10(35)/नविवि/3/2010 दिनांक 25.02.11 के जरिये जारी दिशा-निर्देश के संबंध में कतिपय नगर निकायो द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर चाहे गये मार्गदर्शन के संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है :-

1. उपरोक्त परिपत्र के खण्ड "ब" के बिन्दु सं0 1 के अनुसार आबादी भूमि के विभिन्न भू-उपयोग परिवर्तनों के संबंध में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2010 में उल्लेखित निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदण्डों के अनुरूप संबंधित निकाय द्वारा नियमानुसार तत्संबंधित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
2. इस पपित्र के खण्ड "ब" की नदम् पंक्ति में rouitine manner में नहीं किया जाने से विभाग का आशय यह है कि माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 09.12.2010 के स्थगन आदेश के पूर्व तत्संबंधित प्रयोजनार्थ विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश, आदेश, परिपत्र आदि में जो प्रक्रिया एवं मानदण्ड निर्धारित थे उनकी पालना अनिवार्य रूप से की जानी है।
3. खण्ड "ब" के बिन्दु सं0 4 को विलोपित किया जाता है।

**ह0**
**(गुरदयाल सिंह संधु)**
**प्रमुख शासन सचिव**

(292)